

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख) (परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 25 अप्रैल, 2008 ई0 बैशाख 05, 1930 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–9

संख्या 74/XXVII(9)/स्टाम्प/2008 देहरादून, 25 अप्रैल, 2008

अधिसूचना

प0 आ0-76

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2, वर्ष 1899) (समय—समय पर यथासंशोधित) की घारा 9 की उपघारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से सभी स्थावर सम्पत्तियों के अन्तरण पर प्रमार्य स्टाम्प शुल्क एक प्रतिशत कम किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री राज्यपाल, सर्किल दर से अधिक दर पर अन्तरण किए जाने की दशा में, ऐसे अन्तरण में सर्किल रेट से अधिक की धनराशि पर प्रमार्य स्टाम्प शुल्क में पचास प्रतिशत की छूट भी प्रदान करते हैं।

> आज्ञा से, आलोक कुमार जैन, प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification no. 74/Vitta Anubhag-9/Stamp/2008, Dehradun, dated April 25, 2008 for general information:

No. 74/Vitta Anubhag-9/Stamp/2008 Dated Dehradun, April 25, 2008

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act no. 2 of 1899) (as amended from time to time), the Governor is pleased to permit the reduction of one per cent levied stamp fee on transfer of all immovable properties from the date of publication of this Notification.

In case of transfer made at a rate higher than the circle rate, the Governor is also pleased to exempt fifty per cent of the stamp duty levied on the amount in excess of the circle rate.

By Order,

ALOK KUMAR JAIN, Pramukh Sachiv.